237/2021

प्रपत्र-8

राजस्थान सरकार

2021/409

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, शाहपुरा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प रेवाड़ी

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

—:आदेश:—

प्रार्थी के *"खाता दुरुस्ती"* प्रार्थना पत्र एवं पटवारी रेवाड़ी व भू.अ.नि. रेवाड़ी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार शाहपुरा/नायब तहसीलदार रेवाड़ी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम रेवाड़ी तहसील शाहपुरा व जिला शाहपुरा की जमाबन्दी सम्वत् में खाता संख्या 415 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रुप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :—

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	रेवाड़ी	415	प्रभात पुत्र नारायण	प्रभात उर्फ प्रभात पुत्र नारायण शेष इन्द्राज यथावत
2	भिमपुरा	59	प्रभात पुत्र जीवण	प्रभात उर्फ प्रभात पुत्र नारायण उर्फ जीवण शेष इन्द्राज यथावत

(मनमोहन)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उप उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर
शाहपुरा

क्रमांक :— 965-966

दिनांक 26/11/21

प्रतिलिपि :— शाहपुरा

1. तहसीलदार ..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री प्रभात राम को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर,
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा